न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओमप्रकाश बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 161/2023

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. अचलाराम पुत्र लिखमाराम 2. अर्जुनराम पुत्र लिखमाराम 3. जेठाराम पुत्र लिखमाराम 4. दीपाराम पुत्र लिखमाराम 5. शेराराम पुत्र लिखमाराम सभी जातियान जाट, निवासीगण– डूडी नगर उर्फ भक्ति नगर, तहसील आऊ जिला जोधपुर।		1. नैनाराम दरतक पुत्र बुधाराम जाति जाट, निवासी–डूडी नगर उर्फ भक्ति नगर, तहसील आऊ जिला जोधपुर 2. अनोपाराम पुत्र फुसाराम 3. पूनाराम पुत्र श्री धुडाराम 4. भवरूराम पुत्र श्री फुसाराम 5. राजूराम पुत्र श्री धुडाराम सभी जाति जाट, निवासीगण–डूडी नगर उर्फ भक्ति नगर, तहसील आऊ जिला जोधपुर। 6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार आऊ जिला जोधपुर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय उपखण्ड अधिकारी, लोहावट जिला जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 40/2022 अनवान नैनाराम बनाम अचलाराम वगैराह में दिनांक 30/01/2023 में पारित किया गया

उपस्थितिः–

1– श्री सांवलराम चौधरी, अधिवक्ता अपीलान्टस की ओर से ।
2– श्री पूनाराम बिश्नोई, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से।
3– श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 6 की ओर से।
3– रेस्पो0 संख्या 2 ता 5 बावजूद तामीली के अनुपस्थित है।

निर्णय

दिनांक 27 सितम्बर, 2023

उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रत्यार्थी संख्या 1 ने धारा 111, 128 राज0भू राजस्व अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि उनकी खातेदारी की खेत खसरा संख्या 215 रकबा 5.3418 हैक्टर भूमि आई हुई है। इससे पूर्व रेस्पोडेन्ट द्वारा सीमाज्ञान करवाने हेतु तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 13.6.2022 को सीमाज्ञान किये जाने का पटवारी हल्का को आदेश दिया। पटवारी हल्का द्वारा मौके पर सीमाज्ञान किया जाकर कच्चे मुटाम स्थापित किये गये तब रेस्पोडेन्ट मुटाम पर तारबन्दी करने लगा तब पडौसी

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

खातेदारान के द्वारा कार्यवाही बाधित करने लगे एवं उक्त भूमि के पडौसी खातेदारो द्वारा कणा माठ खुर्द बुर्द करने पर तथा सीमाचिन्ह नदारद होने से अपनी उक्त भूमि की पैमाइश/पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान किये जावे। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.01.2023 के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या एक के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए ख0सं0 255 भूमि का सीमाज्ञान चिन्हित कर भूमि के सभी खातेदारों को विधिवत नोटिस देकर पत्थरगढी किये जाने के आदशो तहसीलदार आउ को दिये गये। उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अधिवक्ता ने मुख्य रूप से यह कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय/आदेश विधि एवं कानून के खिलाफ होने से काबिले खारिज करने योग्य है क्योंकि अपीलाधीन आदेश हल्का पटवारी की गलत मौका/नाम रिपोर्ट व गलत तथ्यों के आधार पर दिया गया है, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पत्थर गढी करवाने बाबत पेश किया, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया। नियमानुसार जबतक प्रतिवादी उस न्यायालय अधिकारिता क्षेत्र भीतर निवास करता है, तो जहां तक न्यायालय अन्यथा निर्देश न दे, सम्मन उचित अधिकारी या अधिनस्थ को तामिल करने के लिये भेजा जायेगा। न्यायालय के परमिशन आदेश के बिना रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा गया है, जिसको केवल डाक रसीद पेश करने पर तामिल माना जाना उचित नहीं है तथा उसके आधार पर अप्रार्थीगण के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही करना न्यायोचित नही है, ऐसे में अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय होने से निरस्त करने योग्य है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलांट को न तो कोई सम्मन मिला, न ही प्रार्थना पत्र की प्रति प्राप्त हुई जिस कारण वे अंपना जवाब पेश नही कर सकें। सीमाओं के संबंध के विवादो का निपटारा किन्ही सीमाओं से संबंधित किसी विवाद के मामले में भू अभिलेख आधिकारी जहां तक संभव हो, वर्तमान संर्वेक्षण नक्शा ट्रेस से माप किया जाकर निपटायेंगे या मौका माउ से कब्जे के अनुसार निपटाया जावेगा एवं तहसीलदार सरसरी मौका रिपोर्ट व कब्जे के आधार पर निपटारा करेगा, इस प्रकार अधिकारी द्वारा न तो सही माप करवाया, न ही तहसीलदार से मौका रिपोर्ट मंगवायी गयी है। सोमाओं के झगडे में समरी जांच प्राप्त रिपोर्ट की जाना आवश्यक है, तहसीलदार को इस प्रकार के मामलों में जांच रिपोर्ट मंगवाकर निण्टारा करना चाहिये था, जो नही किया

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

गया। खेत खसरा सं 255 अपीलांटस व रेस्पोडेन्ट की की पैतृक कृषि भूमि है जिसका बंटवाडा आज से 40 वर्ष पूर्व कर लिया गया था और आने जाने का रास्ता छोडकर मौके व रेकर्ड में बंटवाडा भी कर लिया गया व उसी अनुसार अलग खसरा सं0 255, 255/1, 255/2 वर्तमान में स्थित है तथा इन सभी ने अपने अपने हक हिस्से में माठ धोरे इत्यादि बनाये तथा रहवासीय घर, ट्यूबवेल अपने अपने हिस्से में बनाकर अपने अपने हिस्से पर कब्जा काश्त किया जा रहा है। प्राथी द्वारा जानबूझकर बताया गया कि माठ व सीमा चिन्ह नही है जबकि मौके पर माठे इत्यादि बनी हुई है, जिससे यह अपीलाधीन आदेश निरस्त करने योग्य है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्टस का एक दावा इसी अधीनस्थ न्यायालय में वाद संख्या 135/2022 अनवान लक्ष्मणराम बनाम मंगाराम पेश हो रखा है जिसमें प्रतिवादी मंगाराम ने ख0सं0 255 की माठे को ट्रेक्टर चला कर तोड दिया गया जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दावे में स्थगन आदेश पारित कर मौके की यथास्थिति बनाये, किसी प्रकार की माठ में निर्माण कार्य, पत्थर की पटिटया तारबन्दी नहीं करने हेतु पारित किया गया है जो आज भी यथावत है। इस प्रकार रेस्पोडेन्टस ने अधीनस्थ न्यायालय में उक्त स्थगन आदेश व तथ्यों को छुपाकर अपीलाधीन आदेश पारित करवा लिया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त करने योग्य है। अपीलान्ट को उक्त आदेश की पूर्व में कोई जानकारी नहीं रही है जब गांव में अपीलाधीन आदेश के सम्बन्ध में बाते होने लगी तब उन्हें इस आदेश की जानकारी हुई तब उनके द्वारा अपीलाधीन आदेश की नकले प्राप्त करते हुए यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की जा रही है जिसे अन्दर म्याद शुमार करते हुए गुणावगुण पर निर्णित की जावे तथा अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध पारित होने एवं एकपक्षीय होने से निरस्त किया जावे एवं अपीलान्टस की अपील को स्वीकार किया जावें।

प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या एक के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 ने धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि उनकी खातेदारी की खेत खसरा संख्या 255 रकबा 5.3418 हैक्टर भूमि आई हुई है। इससे पूर्व रेस्पोडेन्ट द्वारा सीमाज्ञान करवाने हेतु तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 13.6.2022 को सीमाज्ञान किये जाने का पटवारी हल्का को आदेश दिया। पटवारी हल्का द्वारा मौके पर सीमाज्ञान किया जाकर कच्चे मुटाम स्थापित किये गये तब रेस्पोडेन्ट मुटाम पर तारबन्दी करने लगा तब पडौसी खातेदारान के द्वारा कार्यवाही बाधित करने लगे एवं उक्त भूमि के पडौसी

तिखित सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

खातेदारो द्वारा कणा–माठ खुर्द बुर्द करने पर तथा सीमाचिन्ह नदारद होने से अपनी उक्त भूमि की पैमाइश/पत्थरगढी किये जाने बाबत निवेदन किया तब अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुए वर्तमान अपीलान्ट एवं अन्य रेस्पोडेन्टस को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामीली के अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए और न ही उनकी ओर से कोई प्रत्युतर पेश किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा रेस्पो0 संख्या एक के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों एवं तहसीलदार महोदय के आदेश दिनांक 13.6.2022 के अनुसार दिनांक 14.6.2022 को मौका भूमि की पैमाइश व सीमाज्ञान करवाया गया जो कि अन्य खातेदारान यानि रेस्पोडेन्टस एवं स्वयं अपीलान्ट की मौजूदगी में करवाई गई एवं अपीलान्ट के मौका फर्द पर हस्ताक्षर किये हुए है, को आधार मानते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या एक के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.01.2023 के द्वारा वादग्रस्त खेत खसरा सं0 255 भूमि का सीमाज्ञान चिन्हित कर भूमे के सभी खातेदारों को विधिवत नोटिस देकर पत्थरगढी किये जाने के आदेश तहसीलदार भाउ को दिये गये है जो विधि अनुकूल उचित होने से यथावत बहाल रखे जाने योग्य है।

रेस्पो0 संख्या एक के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट के द्वारा अपनी प्रस्तुत इस अपील में ऐसे कोई तथ्य उजागर नहीं किये गये है जिससे अपीलाधीन आदेश को गलत ठहराया जा सकता हो क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ख0सं0 255 के सभी खातेदारों को विधिवत नोटिस देकर पत्थरगढी की जाने के आदेश प्रदान किया है जो उचित है। अतः अपीलान्ट की अपील सारहीन एवं आधारहीन होने से अस्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन आदेश को बहाल रखा जावें।

हमने अपीलान्ट के अधिवक्ता की ओर से की गई बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलांधीन आदेश इत्यादि का अवलोकन किया गया जिससें यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण में वर्तमान अपीलान्टस जो अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थीगण संयोजित रहे है, के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के अनुसार किसी पक्षकार के खेत खसरान की भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का आदेश प्रसारित किया जाता है तो खातेदार/काश्तकार को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर दिया जाना होता है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को उक्त परिप्रेक्ष्य में निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को

तेखित सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

सभी प्रभावित खातेदारान/काश्तकारान की विधिवत तामीली उपरान्त उन्हें पर्याप्त सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधि अनुसार नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित रहेगा।

अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लोहावट के द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.01.2023 को निरस्त किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि सभी प्रभावित खातेदारान/काश्तकारान की विधिवत तामीली उपरान्त उन्हें पर्याप्त सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधि अनुसार नये सिरे से निर्णय पारित करें। निर्णय आज दिनांक 27 सितम्बर, 2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर

(ओमप्रकाश बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर